-प्रेस नोट-

दिनांकः03.03.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा व थाना चिलकाना की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड में 01 शातिर गौकश/हिस्ट्रीशीटर/गैंगलीडर बदमाश घायल/गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 02 जिंदा/02 खोखा कारतूस 315 बोर, 01 बिना नम्बर की मोटरसाइकिल व गौकशी के उपकरण बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, गौकशी की घटनाओं की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु लगातार सघन चैकिंग/गश्त की जा रही है। इसी क्रम में आज दिनांक 02.03.2025 की रात्रि में मुखबिर की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक सरसावा व प्रभारी निरीक्षक चिलकाना मय पुलिस टीम के अलीपुरा बम्बे की पुलिया पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग कर रहे थे, तभी ग्राम बिडवी की तरफ से बिना नम्बर की मोटरसाइकिल पर दो संदिग्ध व्यक्ति आते दिखायी दिये पुलिस टीम द्वारा उनको टार्च की रोशनी दिखाकर रूकने का ईशारा किया गया जिस पर मोटरसाइकिल सवार दोनो व्यक्ति मोटरसाइकिल पीछे मोडकर वापस भागने लगे तथा हडबडाहट में बदमाशों की मोटरसाइकिल फिसलकर गिर गयी। पुलिस टीम को नजदीक आता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी, जिस पर पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में 01 बदमाश गोली लगने से घायल हो गया । घायल/गिरफ्तार बदमाश की पहचान **फैजान पुत्र इमरान निवासी मौहल्ला मजहरहसन कस्बा व थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** के रूप में हुई । घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया तथा एक अन्य बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया । फरार बदमाश की तलाश हेतु काम्बिंग की जा रही है। **अभियुक्त फैजान उपरोक्त थाना चिलकाना का शातिर हिस्ट्रीशीटर/गैंगलीडर अपराधी है**, जो थाना चिलकाना व थाना सरसावा से गौकशी, गैंगस्टर एक्ट व पुलिस मुठभेड़ में वांछित चल रहा था। अभियुक्त फैजान उपरोक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 02 जिंदा/02 खोखा कारतूस 315 बोर, गौकशी के उपकरण व 01 बिना नम्बर की स्पलेण्डर मोटरसाइकिल बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद सहारनपुर के विभिन्न थानो पर गौकशी, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट व चोरी आदि गंभीर अपराधों में लगभग दो दर्जन मकुदमें दर्ज है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 074/2025 धारा 109/ 3(5)2 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । उपरोक्त अभियुक्त थाना सरसावा के मु0अ0सं0 061/2025 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 303(2) बीएनएस की घटना मे संलिप्त है । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मै पढा लिखा नही हूँ मैने अपने एक साथी के साथ मिलकर दिनांक 19/20.02.2025 की रात्रि में छोटा गोविन्दपुर गांव मे दो घरो से दो गाय चुरायी थी जिनको हम दोनों छोटा गोबिन्दपुर गांव से बाहर निकलकर कुछ ही दूरी पर जंगल में काटने के लिए ले गये थे एक गाय को हम दोनो ने काट दिया था लेकिन गाव वाले अपने चोरी हुऐ गौवंश को तलाश करते हुऐ जंगल मे घूम रहे थे उनको अपनी ओर आते देखकर मै तथा मुस्तकीम कटी गाय का मीट अपने साथ प्लास्टिक की पन्नियो मे भरकर तथा पन्नियो को प्लास्टिक के बोरो मे भरकर इसी मोटर साईकिल पर लादकर तथा उसके अवशेषो तथा दूसरी गाय को वही पर बंधा

छोडकर मौके से भाग गये थे इसके अलावा दिनांक 30/31 जनवरी 2025 की रात्रि मे मेने तथा मेरे साथी इकरार ने मिलकर गांव चोरी मंडी के जंगल मे आवारा सांड को काटा था ओर उसके मांस को बेच दिया था। उसके बाद अगली रात हम दोनों मिलकर चौरी मंडी के जगल मे ही पकडी हुई एक आवारा गाय को काटने ही वाले थे कि तभी पुलिस आ गयी थी फिर उसके बाद हम तीनो ने पकडे जाने के डर से पुलिस पर जान से मारने की नियत से तंमचो से फायर किये थे जिसमे पुलिस ने भी हम पर फायर किये थे, जिसमे मेरा साथी इकरार डागरा को गोली लग गयी थी तथा मै और मेरा एक अन्य साथी मौके से फायर कर के भाग गये थे ये वही तंमचा है जिससे मैने उस दिन पुलिस पर गोली चलाई थी। आज भी हम गौवंश को चोरी कर गौकशी करने के इरादे से घूम रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

फैजान पुत्र इमरान निवासी मौ0 मजहर हसन कस्बा व थाना चिलकाना सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 तमंचा .315 बोर
- 02 जिंदा कारतूस .315 बोर
- 02 खोखा कारतूस .315 बोर
- गौकशी के उपकरण एक छोटी कुल्हाडी व दो छुरी काफी संख्या मे गुलाबी व पीली रंग की पन्नी की थैलियां, पांच पुरानी रस्सी प्लास्टिक
- घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल स्पलैन्डर प्लस बिना नम्बर

अभियुक्त फैजान का अपराधिक इतिहासः-

1. मु 0सं0अ003/24 धारा 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना कुतुबशेर सहारनपुर।
2. मु0सं0अ0 04/24 धारा 224 भादवि थाना कुतुबशेर सहारनपुर।
3. .मु0सं0अ0 05/24 धारा 307 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना कुतुबशेर सहारनपुर।
4. .मु0सं0अ0 234/15 धारा 379 भादवि थाना कुतुबशेर सहारनपुर।
5. .मु0सं0अ0 11/24 धारा 380/457/411 भादवि थाना कोतवाली देहात सहारनपुर।
6. मु0सं0अ0 12/24 धारा 380/411/457 भादवि थाना कोतवाली देहात सहारनपुर।
7. .मु0सं0अ0 507/18 धारा 380/411/420 भादवि व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना कोतवाली देहात सहारनपुर।
8. .मु0सं0अ0 03/24 धारा 380/457 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर।
9. मु0सं0अ0 16/25 धारा 2/3 गैगंस्टर एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर।
10. .मु0सं0अ0 124/19 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर।
11. .मु0सं0अ0 128/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर।
12. .मु0सं0अ0 161/15 धारा 379 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर।
13. .मु0सं0अ0 177/24 धारा 303(2),317(2),317(5) बीएनएस थाना चिलकाना सहारनपुर।

14 .मु0सं0अ0 180/24 धारा 109/317(5) बीएनएस , 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर।

15 .मु0सं0अ0 203/20 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर।

16 .मु0सं0अ0 239/16 धारा 459 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर।

17 .मु0सं0अ0 369/18 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना चिलकाना सहारनपुर।

18 .मु0सं0अ0 501/19 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर।

19 .मु0सं0अ0 44/21 धारा 307 भादवि थाना सरसावा सहारनपुर।

20 .मु0सं0अ0 97/20 धारा 380/457 भादवि थाना सरसावा सहारनपुर।

21. मु0अ0सं0 074/2025 धारा 109/ 3(5)2 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा

22. मु0अ0सं0 061/2025 धारा 3/5/8 सीएस एस्ट व 303(2)/317(2) बीएनएस थाना सरसावा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
2. प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
3. नि0 श्री राजीव कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
4. उ0नि0 श्री महेश सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
5. उ0नि0 श्री संजीव यादव थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
6. उ0नि0 श्री नरेश कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
7. उ0नि0 श्री केरन सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
8. है0का0 892 अजय राठी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
9. का0 1259 विनीत तोमर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
10. है0का0 378 तरूण तोमर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
11. का0 1059 अनुज राना थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
12. का0 1759 सावन थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
13. का0 1967 अनुज चौधरी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

दिनांक- 03.03.2025

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, अपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक मिर्जापुर श्री धर्मेन्द्र गौतम के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 03.03.2025 को थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा **01 वारन्टी अभियुक्त नदीम पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम मिर्जापुर थाना मिर्जापुर सहारनुपर** सम्बन्धित वाद संख्या 2336/2019 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 चालानी थाना मिर्जापुर को ग्राम मिर्जापुर से गिरफ्तार किया गया। गिऱफ्तार अभियुक्त के विरूध्द अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

नदीम पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम मिर्जापुर थाना मिर्जापुर सहारनुपर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः–

1. उ0नि0 श्री देशराज सिंह थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।
2. का0 2284 श्रीकृष्ण थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 03.03.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता पुलिस द्वारा "ऑपरेशन क्लीन" के अन्तर्गत लावारिश 14 वाहनों की नीलामी, कुल 112100 रुपये (जीएसटी सहित) का राजस्व प्राप्त किया गया

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में मालो के निस्तारण हेतु चलाये जा रहे **"ऑपरेशन क्लीन"** अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निकट पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी गंगोह के कुशल नेतृत्व में एवं उपजिलाधिकारी रामपुर मनिहारन श्रीमति श्वेता पाण्डेय, सहायक सम्भागीय अधिकारी सहारनपुर व थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया थाना नानौता की मौजूदगी में माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में थाना नानौता पर ख़डे **कुल 14 लावारिश वाहनों** जिनकी आरटीओं कार्यालय द्वारा मूल्यांकन धनराशि 57400/- रुपये निर्धारित की गई थी को कार्यक्रम अनुसार चौकी जन्धेडी थाना नानौता पर नीलामी करायी गई। जिसमें कुल 41 बोली दाताओं द्वारा प्रतिस्पर्धी बोली लगायी गई। **बोली दाता श्री नौशाद पुत्र कालू निवासी मौ0 शेखजादगान कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर टोकन नं0 25 द्वारा उच्चतम बोली 95000/- रुपये लगायी गयी।** उच्चतम बोली दाता के हक में नीलामी छोड़ी गयी। कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 के साथ कुल धनराशि 112100/- रू0 राजकोष मे जमा की जायेगी तथा इसके अतिरिक्त आरटीओ कार्यालय से दो अन्य वाहनो का मूल्यांकन कराया गया था जिनको नोटिस प्राप्त होने पर वाहन मालिको द्वारा माननीय न्यायालय से अपने वाहनो का निस्तारण कराकर थाने से अपने वाहन प्राप्त कर लिये है **कुल 16 लावारिस** वाहनो का निस्तारण कराया गया।

नीलामी हुए वाहनों का विवरणः-

- 11 वाहन दो पहिया
- 02 वाहन चार पहिया
- 01 ट्राली लोहा

नीलामी कराने वाली टीम का विवरणः-

1. श्रीमति श्वेता पाण्डेय, उप जिलाधिकारी-रामपुर मनिहारन, सहारनपुर।
2. सुश्री रुचि गुप्ता, क्षेत्राधिकारी-गंगोह, सहारनपुर।
3. सहायक सम्भागीय निरीक्षक आर0टी0ओ0 कार्यालय सहारनपुर।
4. श्री सचिन पूनिया थानाध्यक्ष थाना नानौता सहारनपुर।

5. उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिह थाना नानौता सहारनपुर।
6. हैड मोहर्रिर 118 विपुल कुमार थाना नानौता सहारनपुर।

दिनांकः 03.03.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 नाजायज छुरा बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण हेतु शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर/सहायक पुलिस अधीक्षक के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 03.03.2025 को थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त **इस्तियाक पुत्र महमूद हसन निवासी मरकज वाली मस्जिद के पास सरसावा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** को 01 नायायज छुरे के साथ फतेहपुर भादों बिजली घर के पास से गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 50/24 धारा 4/25 आयुध अधि0 पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

इस्तियाक पुत्र महमूद हसन निवासी मरकज वाली मस्जिद के पास सरसावा थाना सरसावा सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण

- 01 नाजायज छुरा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री अनिल तेवतिया थाना फतेहपुर सहारनपुर।
2. है0का0 961 रोहित राणा थाना फतेहपुर सहारनपुर।
3. है0का0 24 सुनील कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर।